संख्या- 381 / 2023 / 7546 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2023**

विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक - रसिक बिहारी मन्दिर, शिवराजपुर फतेहपुर, बाल्मीकि आश्रम बिठूर, कानपुर नगर एवं राजा सीताराम महल, कोटवन, मथुरा के अनुरक्षण / मरम्मत कार्य हेतु रू0 490.73 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1490/प्रथम-79 वृहद अनु0 (78)/2023, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में राज्य संरक्षित स्मारक- रसिक बिहारी मन्दिर, शिवराजपुर फतेहपुर, बाल्मीकि आश्रम बिठूर, कानपुर नगर एवं राजा सीताराम महल, कोटवन, मथुरा के अनुरक्षण / मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या- 5082/चार-2023 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राज्य संरक्षित स्मारक - रसिक बिहारी मन्दिर, शिवराजपुर फतेहपुर, बाल्मीकि आश्रम बिठूर, कानपुर नगर एवं राजा सीताराम महल, कोटवन, मथुरा के अनुरक्षण / मरम्मत कार्य विभागीय स्तर पर कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 490.73 (रू0 चार करोड़ नब्बे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य विषय विशेषज्ञों एवं उनके अधीन कार्य करने वाली तकनीकी टीम द्वारा कराया जायेगा जिससे प्राचीन भवन सामग्रियों का उपयोग कर जीर्ण -शीर्ण भवनों के मूल आर्किटेक्चर को स्थापित किया जा सके जिसकी डिजाइन हैरिटेज कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट से बनाना अनिवार्य होगा। निदेशक, पुरातत्व द्वारा स्वयं इस कार्य को ASI के पैटर्न पर कराया जायेगा।

(3) निदेशक, पुरातत्व द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक, पुरातत्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) प्रश्नगत राज्य संरक्षित स्मारक के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जायेगा। गुणवत्ता में अधोमानक पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पुरातत्व की होगी।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, पुरातत्व द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, पुरातत्व का होगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-17-स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 381 /2023 / 7546 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।